होम / आरटीआई

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ब्यावर

अंतिम अद्यतन दिनांक: 23.07.2026

क्र.	विषय / विवरण	विस्तृत सूचना
(i)	**विद्यालय के संगठन, कार्यों एवं दायित्वों का विवरण**	• विद्यालय का नाम: पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ब्यावर • सीबीएसई सम्बद्धता संख्या: 1700044 • प्रबंधन: केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार • पता: पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय ब्यावर सिंघड़िया लिंक रोड ब्यावर • कार्य: सीबीएसई पाठ्यक्रम एवं केवीएस के मानदंडों के अनुसार विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना
(ii)	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य**	• प्राचार्य: श्रीमती दुर्गा चौहान- विद्यालय के समग्र शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमुख, केवीएस/सीबीएसई नीतियों के क्रियान्वयन, स्टाफ पर्यवेक्षण एवं विद्यालय प्रशासन के लिए उत्तरदायी • अन्य शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी अपने पदनाम के अनुसार, प्राचार्य के पर्यवेक्षण में, केवीएस शिक्षा संहिता के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं
(iii)	**निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही की श्रृंखला शामिल है**	• निर्णय केवीएस शिक्षा संहिता एवं सीबीएसई के मानदंडों के अनुसार लिए जाते हैं • पर्यवेक्षण श्रृंखला: शिक्षक → प्राचार्य → उपायुक्त, केवीएस जयपुर संभाग → केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) • विद्यालय प्रबंध समिति (वीएमसी) संस्थागत निगरानी एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है (देखें वीएमसी विवरण)

(iv)	**कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानदंड**	• प्रवेश नीतिः केवीएस प्रवेश दिशानिर्देश • शैक्षणिक कैलेंडर: कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज • परीक्षा एवं मूल्यांकन नीतिः केवीएस एवं सीबीएसई के मानदंडों तथा केवीएस शिक्षा संहिता के अनुसार
(v)	**कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली एवं अभिलेख**	• केवीएस शिक्षा संहिता • सीबीएसई उपनियम एवं पाठ्यक्रम दिशानिर्देश • केवीएस लेखा संहिता (वित्तीय नियमों एवं बजट संबंधी विषयों हेतु)
(vi)	**विद्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ**	• प्रवेश एवं नामांकन अभिलेख • छात्र उपस्थिति एवं शैक्षणिक अभिलेख • शुल्क रसीदें एवं लेखा-जोखा • विद्यालय प्रबंध समिति (वीएमसी) के अभिलेख • कर्मचारी सेवा अभिलेख
(vii)	**नीति निर्माण में जनता के परामर्श/प्रतिनिधित्व की व्यवस्था**	• शैक्षणिक सत्र के दौरान समय-समय पर अभिभावक-शिक्षक बैठकें (पीटीएम) आयोजित की जाती हैं • विद्यालय प्रबंध समिति (वीएमसी), जिसमें अभिभावकों का प्रतिनिधित्व शामिल है - देखें वीएमसी विवरण
(viii)	**विद्यालय द्वारा गठित बोर्ड, परिषद, समितियाँ**	• विद्यालय प्रबंध समिति (वीएमसी) - सदस्यों के विवरण हेतु देखें वीएमसी पृष्ठ
(ix)	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका**	• पदनाम सहित शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की सूची हेतु देखें स्टाफ विवरण।
(x)	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक**	• वेतन केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के वेतनमान एवं केवीएस लेखा संहिता के अनुसार, भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप निर्धारित होता है।

(xi)	**आवंटित बजट, योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय एवं संवितरण**	• बजट एवं वित्तीय प्रबंधन केवीएस लेखा संहिता द्वारा शासित होता है। विस्तृत आंकड़े जन सूचना अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
(xii)	**सब्सिडी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन**	• विद्यालय किसी भी सब्सिडी कार्यक्रम का संचालन नहीं करता है।
(xiii)	**प्रदत्त रियायतों, अनुज्ञप्तियों अथवा प्राधिकरणों का विवरण**	• लागू सरकारी/केवीएस मानदंडों के अंतर्गत स्वीकार्य शुल्क रियायतों के अतिरिक्त, विद्यालय कोई अन्य रियायत, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान नहीं करता है।
(xiv)	**इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण**	• परीक्षा परिणाम • परिपत्र एवं सूचनाएं • प्रवेश संबंधी जानकारी • कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज
(xv)	**नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाएं**	• फ्रंट ऑफिस/प्रवेश कार्यालय समयः प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक • पुस्तकालयः केवल विद्यार्थियों एवं स्टाफ के आंतरिक उपयोग हेतु; सामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं
(xvi)	**जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं विवरण**	• जन सूचना अधिकारी (पीआईओ): श्रीमती दुर्गा चौहान, प्राचार्य • पताः पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय ब्यावर सिंघड़िया लिंक रोड ब्यावर दूरभाष: 9418432878 ईमेल: kvbeawar1993@gmail.com • प्रथम अपीलीय प्राधिकारी: श्री संजीत कुमार, उपायुक्त, केवीएस दूरभाष: 0141-2704572 (इस पद पर दिनांक 28-06-2024 से अद्यतन तक)

(xvii)	**अन्य सूचना**	• वर्तमान में कोई अन्य सूचना नहीं। उपरोक्त में शामिल न की गई सूचना हेतु, नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क सहित, बिंदु (xvi) में उल्लिखित जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।